प्रकरण संख्या 12/2019 सुखा व अन्य बनाम कडवा व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
28.10.2024	प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 ने एक वाद बाबत् अन्तर्गत धारा 88, 53, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि गांव पडला कटारा, तहसील सज्जनगढ़ में आराजी नंबर 36, 71, 45, 46, 70, 66, 65, 63 कुल खेत 8 रकबा 22 बीघा 12 बिस्वा भूमि स्थित है, जिसमें वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 5 का 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 6 से 10 का 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 11 से 14 का 1/3 हिस्सा होकर मौके पर बाहमी विभाजन कर काश्त करते चले आ रहे हैं। उक्त भूमि शामलाती होने से वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 14 के मध्य आये दिन विवाद होते रहते हैं तथा भूमि सुथार में दिक्कते आती हैं। अतः वादी का वाद स्वीकार कर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 5 का 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 6 से 10 का 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 11 से 14 का 1/3 हिस्सा अनुसार सहखातेदार घोषित किया जाकर विभाजन किया जावे। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से स्वीकारोक्ति का जवाबदावा प्रस्तुत कर वाद अनुसार विभाजन किये जाने में किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होने का कथन किया जबकि प्रतिवादी संख्या 6 से 10 की ओर से खण्डन का जवाबदावा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी विवादित आराजियात का सहखातेदार नहीं है, न ही उसका कब्जा है बल्कि प्रतिवादी संख्या 6 से 10 के पिता मोती जी ने उक्त भूमि वेस्ता के साथ मिलकर संवत् 2012 में निकाली हैं तथा उनका नाम खातेदारी में दर्ज होकर कब्जा चला आ रहा है, अन्य किसी का कब्जा नहीं है। अतः वादी का वाद खारिज किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय ने प्लीडिंग्स के आधार पर तनकियात कायम कर दिनांक 30.07.2019 को निर्णय पारित करते हुए वादी का वाद स्वीकार कर विभाजन की प्रारम्भिक डिक्री जारी की, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/प्रतिवादी संख्या 6 से 10 द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 18.10.2019 को प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 4 व 9 की ओर से अधिवक्ता श्री जयेन्द्र पुरोहित उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्टगण की ओर से अधिवक्ता श्री समर पण्डया उपस्थित हुए। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया जाकर अभिभाषक उभय की बहस सुनी गई।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2024.11.19 11:14:06 IST
Reason: SelfAttested

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट मजदूरी हेतु बाहर चला गया था तथा वापस आने पर अपने अधिवक्ता से सम्पर्क करने पर उक्त निर्णय व डिक्री की जानकारी हुई। अपीलान्ट द्वारा जानबूझकर विलम्ब नहीं किया गया है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे। ताईद में शपथ पत्र प्रस्तुत किया।

हमने उक्त प्रार्थना पत्र पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। अपील प्रस्तुत करने में मात्र 18 दिन का विलम्ब हुआ है, जिसे प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय करने के दृष्टिगत मयाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट संख्या 1 के वारिसान की विधिवत तामिल कराये बिना उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए प्रारम्भिक डिक्री जारी करने में भारी भूल की है। तनकी नंबर 1 जो महत्वपूर्ण तनकी थी, जिसे वादी साबित कराने में असफल रहा है। वाद पत्र वंशावली साबित हुए बिना अधीनस्थ न्यायालय ने प्रारम्भिक डिक्री जारी कर दी। अपीलान्टगण ने अपने जिम्मे की तनकी नंबर 3, 4 व 5 मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों से साबित कराया है, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने इस साक्ष्यों पर ध्यान न देकर उक्त तनकी अपीलान्टगण के विरूद्ध निर्णित करने में विधिक भूल की है। आराजी नंबर 8, 10, 25, 36, 45, 46, 47, 48, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 63, 65, 66, 70, 71 कुल किता 19 रकबा 43 बीघा 4 बिस्वा भूमि अपीलान्ट के पिता मोती व वेस्ता पिता जहा ने संवत् 2012 से पूर्व शामलाती रूप से निकाली तथा दोनों के मध्य विभाजन होकर विवादित आराजियात रकबा 22 बीघा 12 बिस्वा भूमि अपीलान्टगण के हिस्से में आयी है तथा कब्जा भी अपीलान्टगण का चला आ रहा है, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय विवादित आराजियात को दला की मानते हुए वादी व अन्य प्रतिवादीगण को विवादित आराजियात का सहखातेदार घोषित किया है, जो न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्तों के विपरीत होने से अपास्त योग्य है। अतः अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री अपास्त की जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2024.11.19 11:14:06 IST
Reason: SelfAttested

उक्त बहस का खण्डन करते [illegible] वि[illegible] अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने बताया कि अपीलान्ट ने अपील में कोई [illegible] तथ्य पेश नहीं किये

हैं, न ही अधीनस्थ न्यायालय में दस्तावेज पेश किये हैं, न ही प्रतिदावा प्रस्तुत किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण आयी साक्ष्यों के आधार पर तनकीवार विवेचन करते हुए निर्णय पारित किया है, जो विधि सम्मत होने से अपील खारिज की जावे।

हमने बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया। जमाबन्दी संवत् 2012 से 2015 में आराजी नंबर 8, 10, 25, 36, 45, 46, 47, 48, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 63, 65, 66, 70, 71 कुल किता 19 रकबा 43 बीघा 4 बिस्वा भूमि अपीलान्ट के पिता मोती वल्द दला व वेस्ता वल्द जहा के खातेदारी में दर्ज है। इसी प्रकार का अंकन संवत् 2016 से 2019, 2024 से 2027, 2028 से 2031, 2031 से 2034 में किया हुआ है तथा खसरा गिरदावरियों में भी मोती व वेस्ता का नाम अंकित है। संवत् 2035 से 2038 में भी विवादित आराजियात मोती व वेस्ता के नाम अंकित है, किन्तु कैफियत में मोती, जोगी, वालजी पिता दल्ला 1/2 तथा वेस्ता पिता जहा 1/2 अंकित कर दिया गया है। उक्त प्रविष्टि किस आधार पर की गयी है, यह स्पष्ट नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना किसी ठोस दस्तावेजी साक्ष्य के विवादित आराजियात दला की मानते हुए, दला के तीनों पुत्र जोती, मोती व वालजी का विवादित आराजियात में 1/3, 1/3 हिस्सा मानते हुए विभाजन की प्रारम्भिक डिक्री जारी की है, जो प्रथम दृष्टया पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के विपरीत होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण संख्या 319/2013 निर्णय एवं डिक्री 30.07.2019 अपास्त की जाती है तथा पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि हमारे द्वारा उपरोक्त किये गये विवेचन को दृष्टिगत रखते हुए अपीलान्टगण द्वारा दावे के दौरान पेश की गयी साक्ष्य तथा दस्तावेजों का पुनः परीक्षण कर धारा 88 पर निर्णय पारित करें तत्पश्चात् धारा 53 बाबत् डिक्री पारित करें। पक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय में अपना पक्ष रखने हेतु दिनांक 27.12.2024 को उपस्थित रहें। निर्णय आज दिनांक 28.10.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(कीर्ति राठौड़)
प्रबन्ध अधिकारी
एवं राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2024.11.19 11:14:06 IST
Reason: SelfAttested